

संशोधन

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश संघ

संख्या - प्राथि/परिषद/संघ/2021/3537

तखनऊ दिनांक: 08/08/2021

आवृत्त संदेश

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/बर्नोली काउन्सिल ऑफ इड्युकेशन, नई दिल्ली द्वारा सितंबर 2021-22 हेतु दिल्ली/राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम: प्रवेश स्तर पर ही संशोधन अथवा सीटी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे दिये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1672-PREMRAGHU INSTITUTE OF PHARMACY, HATHRAS

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0ए0पी0सी0आइ0ए0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0ए0पी0सी0आइ0ए0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों/1962, सेरेस्टर विनियमों/2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ग्रीन एबीसी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150,00/- प्रतिवर्ष, टी ग्रीन एबीसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा टी ग्रीन एबीसी पाठ्यक्रमों एवं एबीसी ग्रीन एबीसी पाठ्यक्रम के


 Prem Raghunath
 Prem Raghunath Institute of Pharmacy,
 Agri Road, Hathras

केंद्र) हेतु ₹10-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव दस्ता विगत विदे उक्त उक्त छात्र/छात्रा प्रकृति होने, और सम्बन्धित कार्यवाही किया जना आवश्यक होगा। फिर निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु वित्त का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस भी सर्वोत्तम हो जायेगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा समिति/या तथा उप समिति/या, संस्थाओं को सम्बन्धित किया जना। विनिर्देशावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित इम्प्री को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विस्तार पर जानकी स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत छात्र/छात्रा के अनुसार विविधता एवं सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एन/ए/सी/टी/ए/डी/पी/सी/आई/डी से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/विधान/अधिनियम/आयतादेश/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर उच्चतर बनाये गये विधानों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विज्ञाना इन एम/सी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि वो हो, उन्हें लड़े दिनों में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होती है तो उक्त समय में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बचत/हानि किया जाता है तथा हानि काटने संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विज्ञाना इन एम/सी पाठ्यक्रम संघर्षित करने वाले संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश स्कूल उच्चतर द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रदान होने के पूर्व पी/सी/आई/डी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अच्छा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वोत्तम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की विभिन्न शिक्षा पृष्ठ, भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्र/छात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु उपर्युक्त माता/पिता उपलब्ध करने के साथ रेगियर स्कूलों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो तो कि संस्था में परत/वित्त/संपत्तित पाठ्यक्रम को बनाये जाना हेतु निर्दिष्ट समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अर्जिमेंट, भूमि/आगत, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किया अन्य पाठ्यक्रम के माध्यम में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था

- ✓ सतत का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए का नहीं है जो कल्याण संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धन किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के वार्षिक निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सौज-सज्जाएँ एमआईपीसी/टीपीई/पीपीसी/आई/परिषद के सम्बन्धानुसार उपलब्ध नहीं पायी जाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमान कानूनानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)

बचिव

पु080- शासित/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, PREM RAGHU INSTITUTE OF PHARMACY, HATHRAS



(सुनील कुमार शर्मा)

बचिव



Principal

Prem Raghun Institute of Pharmacy
Agra Road, Hathras

- ✓ संचार का सिद्धांत-संचारिक शिक्षा अधिनियम, 1962 का उद्देश्य/संरचना को समझना और प्रकृतिक शिक्षा में (विद्यार्थियों) समझने को बढ़ावा देना।
- ✓ संचार के लक्ष्य प्रथम श्रेणी अधिनियम द्वारा अद्यतित कराए जा रहे हैं। प्रकृतिक शिक्षा प्रयोग। संस्कृत के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह अधिनियम को परिभाषित करता है। प्रकृतिक शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य है। अधिनियम को लागू करना।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार सिद्धांत को समझना शुरू करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।
- ✓ संचार को समझने के लिए अधिनियमों के अनुसार प्रकृतिक शिक्षा में अद्यतित करना। प्रकृतिक शिक्षा।


 डॉ. अ.क. सिंह
 अध्यक्ष

क्रमांक- प्रविष्टि / प्रविष्टि संख्या / 2019 / 1339 - 2020

२६ दिनांक 19-9-2019

प्रतिनिधि- सचिव, अखिल भारतीय प्रायोगिक शिक्षा आयोग, नया दिल्ली, दिल्ली


 प्रिंसिपल
 Bharat Rajya Institute of Pharmacy
 Agra Road, Mathura


 डॉ. अ.क. सिंह
 सचिव